छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

आधार बिना केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति नहीं
30 जून 2017 तक लिंक करना अनिवार्य

महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को मिलने वाली केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के लिए अब आधार नंबर बैंक से लिंक कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आधार जरूरी कर दिया है, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड बनवाना एवं बैंक अकाऊंट से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए 30 जून 2017 तक का वक्त दिया है।

इस तारीख के बाद अगर किसी महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो विद्यार्थी को आधार रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होगी ताकि पता चल सके कि आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है। अतः केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने वाले समस्त हितग्राही दिनांक 30 जून 2017 तक आधार कार्ड बनवाकर बैंक खाता क्रमांक से लिंक करवा ले। इसके पश्चात् पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी एवं आधार नंबर के अभाव में छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

6/3

सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

प्रति,

आयुक्त जनसम्पर्क,
दैनिक समाचार पत्र .... रायपुर

कृपया अपने प्रदेश स्तर पर प्रकाशित होने वाले लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगें।